न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम,सहरसा

नियमित जमानत आवेदन सं.883 / 2022

1. अभिषेक कुमार उर्फ अमित कुमार.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

20.10.2022

काराधीन आवेदक अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ अमित कुमार पे. नंदन यादव की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद सौरबाजार थाना कांड सं.67 / 2022 धाराएं 379 / 411 / 34 भा.द.वि. के तहत दर्ज है।

नियमित जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाष चंद्र कुंवर द्वारा निवेदन किया गया कि इस जमानत आवेदन के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय,पटना या इस न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। उनका अग्रिम कथन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप लागू नहीं होता है। आवेदक के पास से चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक दिनांक–01.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधार पर उन्होंने आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना किए हैं।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी अनुसार अभियोजन कथन संक्षिप्त में यह है कि इस वाद के सूचक सोनेलाल सिंह,साकिन–गांधीपुर,बरियारपुर, थाना– थाना–बरियारपुर,जिला– मुंगेर का निवासी है। ये टाटा 407 मालवाहक वाहन जिसका निबंधन सं.बी.आर.01 जी.जे.7931 का चालक है। दिनांक–04.02.2022 को शाम लगभग 8.00 बजे जीरो माईलचौक,सौरबाजार में गाड़ी को खड़ा कर उसी में सो गए। दिनांक–05.02.2022 को लगभग 3.00 बजे सुबह में शौच करने चले गए और भूलवश चाभी गाड़ी में ही छोड़ दिए। जब वापस गाी के नजदीक आए तो गाड़ी गायब थी। खोजबीन करने पर पता चला कि

सुशील कुमार,साकिन–सहुरिया, पूर्वी सोन22वर्षा, थाना–सौरबाजाअभिषेक कुमार,साकिन–लखनी,थाना–महिषी,दोनों–जिला–सहरसा अन्य अज्ञात के साथ मिलकर वाहन को लेकर फरार हो गए। उक्त वाहन में विभिन्न रंग का एसियन पेंट करीब 405 कार्टुन/बाल्टी में था जो अर्णव हार्डवेयर एवं टेन्ट हाउस बेलदौर खगड़िया को दिया जाना था। वाहन सहित उपरोक्त सभी सामान चोरी कर लिया गया। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अनुसंधान पूर्ण कर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान पूर्ण कर अंतर्गत धारा 379,411/34 भा.द.वि. के आरोप के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है । प्राथमिकी अनुसार आवेदक अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्त के विरूद्ध एसीयन पेंट तथा बिक्री हेतु बाल्टी लदा मालवाहक मोटर वाहन को चोरी कर ले जाने का आरोप है जिसमें पेन्ट प्राथमिकी के सह अभियुक्त सुशील कुमार के घ ार से बरामद होने की बात अनुसंधान के दौरान बतायी गयी है। इस मामले के सह अभियुक्त सुशील कुमार को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को ध्यान मे रंखते हुए सशर्त जमानत की सुविधा दी गयी थी। अब तक के अनुसंधान में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले के अलावे पूर्व से एक मामला महिषी थाना कांड सं. 210/2018 लंबित होना बताया गया है जिसका उल्लेख अपराधिक इतिहास के तौर पर पूरक केस दैनिकी की कंडिका–11 में है परंतु जमानत आवेदन याचिका की कंडिका–03 में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध अंतर्गत धारा 30 (a)उत्पाद अधि. के तहत बांका थाना कांड सं.178/2021 दर्ज है। इसके अलावे सौरबाजार थाना कांड सं0125/2022 अंतर्गत धारा 307 भा.द.वि. के अलावे अन्य धाराओं में भी दर्ज है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व से कुल 03 मुकदमा इनके

नियमित जमानत आवेदन सं.883/2022

विरूद्ध अनुसंधान सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। आवेदक अभियुक्त अन्य दूसरे मामले से उपस्थान अधिपत्र के आधार पर दिनांक–01.09.2022 से इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है,तब से वे न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्राप्त तथ्यों,परिस्थितियों एवं कारा में बितायी गयी अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को सशर्त जमानत की सुविधा देने के पक्ष में हूं। तदनुसार,काराधीन आवेदक अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ अमित कुामर को मो. 10,000/(दस हजार रूपए) का व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो प्रतिभू सहित का बंधपत्र दाखिल करने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि संज्ञानोपरांत आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे। विचारण के दौरान संबंधित विद्वान न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमित एवं उचित पैरवी करेंगे। बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय बंधपत्र खंडित कर जमानत/बंधपत्र की संपूर्ण राशि अथवा अंश राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

अपर सत्र न्या..प्रथम